

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला  
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :-178 / 16

संस्थापन दिनांक:-24 / 12 / 16

फाईलिंग नं. 400536 / 2016

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

मानिकलाल पिता फजल धुर्वे,  
उम्र 35 वर्ष, निवासी खारी गयावानी,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**—: (नि र्ण य ) :—**

**(आज दिनांक 06.04.2018 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 19.12.2016 को सुबह करीब 09:30 बजे थाना आमला से 15 किमी. उत्तर में फरियादी मन्नीलाल के घर के सामने ग्राम गयावानी आमला में फरियादी मन्नीलाल के साथ धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 19.12.2016 को उसके खेत में गेहूं ओलने के लिए पानी लगाया था। तभी उसका छोटा भाई अभियुक्त ने उसका पानी उसके घर के सामने से बंद कर दिया। जिस पर उसने अभियुक्त से पानी क्यों बंद कर दिया तो इसी बात पर से अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने दौड़ा जो उसके बांये हाथ की कोहनी के पास लगी। अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 647/16 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र प्रेषित किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.12.2016 को सुबह करीब 09:30 बजे थाना आमला से 15 किमी. उत्तर में फरियादी मन्नीलाल के घर के सामने ग्राम गयावानी आमला में फरियादी मन्नीलाल के साथ धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?”

### **।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

6 मन्नीलाल (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह अभियुक्त को पहचानता है। घटना करीब एक डेढ़ वर्ष पुरानी मेरे घर के सामने ग्राम गयावानी की है। घटना के समय उसका खेत पर पानी जाने की बात को लेकर अभियुक्त से वाद विवाद झूमा झटकी हो गयी थी एवं झूमा झटकी में गिरने से मुझे खेत पर पड़ी कोई नुकिली चीज लगने से चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने गुस्से में आकर अभियुक्त के विरुद्ध प्रदर्श पी-1 रिपोर्ट लिखवायी थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है। साक्षी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि घटना के समय अभियुक्त उसे कुल्हाड़ी लेकर मारने दौड़ा था तथा झूमा झटकी में उसके हाथ में कुल्हाड़ी लग गयी थी। स्वतः मैं साक्षी ने व्यक्त किया है कि झूमा झटकी में गिरने से उसके हाथ में चोट आयी थी। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में भी साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त से उसका मात्र खेत पर पानी की बात को लेकर मौखिक वाद विवाद हुआ था एवं झूमा झटकी में गिरने से उसे चोट आयी थी तथा अभियुक्त ने उसके साथ कुल्हाड़ी से कोई मारपीट नहीं की थी।

साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उसे कुल्हाड़ी से मारकर उपहति पहुंचाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। उक्त साक्षी ने अभियुक्त से केवल खेत पर पानी की बात को लेकर वाद विवाद एवं झूमा झटकी में गिरने से उसे चोट आने के संबंध में कथन किये हैं।

7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ खेत पर पानी की बात को लेकर विवाद करना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा फरियादी को धारदार कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी मन्नीलाल को धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त मानिकलाल को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)